न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–97/2019
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा बनाम जयसवाल कुमार पासवान

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/11/2019	**आदेश**	

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–575/उ0, दिनांक–09.05.19 से प्राप्त उत्पाद वाद संख्या–391/2019 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 सं0–BR07AD-1418 बजाज पल्सर के राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में कारण पृच्छा प्राप्त है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद कर्मियों तथा सशस्त्र बल के साथ एकमीघाट (भीगो–बरहेता रोड) पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में बजाज पल्सर पंजीयन संख्या–BR07AD-1418 को लेकर भागते हुए अभियुक्त सचिन कुमार पासवान, पे0–जय नारायण पासवान को पीछाकर पकड़ा गया। उक्त मोटर साईकिल पर पीछे बंधे हुए बोरे की विधिवत् तलाशी लेने पर 375*ml* का 26 (छब्बीस) बोतल सीलबंद रॉयल स्टैग प्रिमियर बरामद किया, जिसे मोटरसाईकिल के साथ विधिवत जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन अथवा सेवन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन के स्वामी हैं, पुलिस द्वारा गलत ढ़ंग से वाहन जब्त किया गया है, विशेष न्यायाधीश, दरभंगा द्वारा उन्हें जमानत भी मिल चुका है। अतः प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल से अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा था, जिसे उत्पाद विभाग के बल द्वारा छापामारी के क्रम में पकड़ा गया। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा के साथ वाहन विमुक्ति हेतु कोई भी ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किये हैं। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन अथवा सेवन दण्डनीय अपराध तथा बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 का घोर उल्लंघन है।

अतः बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत उत्पाद वाद संख्या–391/2019 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त मोटरसाईकिल पंजीयन संख्या–BR07AD-1418 (बजाज पल्सर) को

राज्यसात् किया जाता है।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा